

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 222/2019

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय:- 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल0बी0एस कॉलेज के सामने,
तिलक नगर, जयपुर (राज0)
शाखा कार्यालय- मालपुरा, जिला टोंक (राज0)

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्री जय प्रकाश पुत्र श्री रमेश कुमार,
निवासी:- इन्द्रा कॉलोनी अंराई, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान-305813
- (2) श्री भूपेन्द्र. राव पुत्र श्री रमेश कुमार राव,
निवासी:- किशनगढ रोड, इन्द्रा कॉलोनी अंराई, तहसील किशनगढ,
जिला अजमेर राजस्थान-305813
- (3) श्री रमेश कुमार पुत्र श्री गंगा राम
निवासी:- 110, इन्द्रा कॉलोनी अंराई, तहसील किशनगढ,
जिला अजमेर, राजस्थान-305813
- (4) श्री किशन गोपाल पुत्र श्री नोरत
निवासी:- 174, पंचायत घर, भामोलाव, वाया अंराई, तहसील किशनगढ,
जिला अजमेर, राजस्थान-305813

..... अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्क्शन
आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री अवतार सिंह उप्पल

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 30.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री जय प्रकाश पुत्र श्री रमेश कुमार एवं श्री भूपेन्द्र राव पुत्र श्री रमेश कुमार राव, वगैरे निवासी:- इन्द्रा कॉलोनी, अंराई, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान 305813 को दिनांक 31.12.2016 को रुपये 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर भैरव नगर, सिरोज्ज रोड, गांव अंराई, तहसील अंराई, जिला अजमेर, राजस्थान स्थित अचल सम्पत्ति, प्लॉट नं 15 जिसका क्षेत्रफल 185.03 वर्गगज है, जो श्री रमेश चन्द राव पुत्र श्री गंगा राम राव के नाम से है, जिसके पूर्व में-रास्ता, पश्चिम-प्लॉट नं0 13, उत्तर -रास्ता, दक्षिण - प्लॉट नं0 14, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 15.08.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 06.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये



(Signature)


जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

5,92,085/- (अक्षरे पांच लाख बानवे हजार पिच्चासी रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में भैरव नगर, सिरोनज रोड, गांव अंराई, तहसील अंराई, जिला अजमेर, राजस्थान स्थित अचल सम्पत्ति, प्लॉट नं 15 जिसका क्षेत्रफल 185.03 वर्गगज है, जो श्री रमेश चन्द राव पुत्र श्री गंगा राम राव के नाम से है, जिसके पूर्व में-रास्ता, पश्चिम-प्लॉट नं0 13, उत्तर -रास्ता, दक्षिण - प्लॉट नं0 14, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्व कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 30.12.2019 को सुनाया गया।


(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर